भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5704
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

पोषण अभियान

5704. श्री दिलीप शइकीया:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर :
श्री आलोक शर्मा:
श्री चिन्तामणि महाराज:
डॉ. भोला सिंह:
श्री भोजराज नाग:
श्री पी. सी. मोहनः
डॉ. के. सुधाकर:
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री प्रवीण पटेल:
सुश्री कंगना रनौत :
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ :
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया :
श्री गजेन्द्र सिंह पटेल :
श्री अनुराग शर्मा:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री धर्मबीर सिंहः
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पोषण अभियान योजना के अंतर्गत मातृ और शिशु पोषण में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का राज्यवार, विशेषकर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त राज्यों सहित देश में इस योजना के कुपोषण दर पर प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें सुधार के संबंध में क्या निष्कर्ष पाए गए हैं;

(ग) अल्प विकसित क्षेत्रों, विशेषकर उक्त राज्यों में, पोषण अभियान की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी नई रणनीति बनाई गई है;

(घ) पोषण अभियान योजना की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पोषण अभियान योजना के कार्यान्वयन में किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जा रहे उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण वितरण तंत्र/निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए कोई उपाय किए हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): 15वें वित्त आयोग की अवधि के तहत, कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसकी विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्वयं-चयन की सुविधा वाली व्यापक योजना है जिसमें किसी लाभार्थी के लिए पंजीकरण कराने और सेवाएं प्राप्त करने हेतु प्रवेश संबंधी कोई बाधा नहीं है। यह मिशन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अल्पविकसित, जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश में मानव पूंजी के विकास में योगदान देना;
- कुपोषण की चुनौती का समाधान करना;
- स्थायी स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए पोषण जागरूकता तथा भोजन की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना

पोषण केवल खाना खाने तक ही सीमित नहीं है; इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय आवश्यक होते हैं जो स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। चूंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और शिक्षा के आयामों को शामिल करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक होता है, इसलिए कुपोषण के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच परस्पर (क्रॉस कटिंग) तालमेल की मदद से कुपोषण की चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार-प्रसार जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा बेहतर स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, आयुष पद्धतियों के माध्यम से गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) को दूर करने और तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, एनीमिया और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

इस मिशन के तहत, बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी, 2023 में संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों मामलों में अधिक व्यापक और संतुलित हैं। इस मानदंड में गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वास्थ्यकर वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन तैयार करने और घर ले जाए जाने वाले राशन (टीएचआर) के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसे दूर करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

इस मिशन के तहत लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए सामुदायिक जुटाव और जागरूकता का प्रचार-प्रसार एक प्रमुख कार्यकलाप है क्योंकि पोषण संबंधी अच्छी आदतें अपनाने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु सतत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीने में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति का काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न पहलें की गई हैं। हाल ही में की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

- सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान: 1000 सुपोषित ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा और सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत प्रत्येक को 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि ग्राम पंचायतों और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रोत्साहन की व्यवस्था के माध्यम से पोषण में सुधार लाने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जा सके।
- परिभाषित संकेतकों पर आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में बुनियादी ढांचे और सेवा प्रदायगी और लाभार्थियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए पोषण ट्रैकर को कार्यान्वित किया गया है।
- फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल: अंतिम लाभार्थी तक सेवा प्रदायगी की ट्रैकिंग के लिए, एमडब्ल्यूसीडी ने घर ले जाने वाले राशन के वितरण के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण तंत्र विकसित किया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पोषण ट्रैकर में पंजीकृत अभीष्ट लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। इसे 100% अपनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। इस मॉड्यूल के सफल कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि टीएचआर इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचता है जिससे अंततः लाभार्थियों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार होगा।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पीएम जनमन मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। इस मिशन में महिला और बाल विकास मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण पहलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब तक, देश भर में पीएम जनमन के तहत निर्माण के लिए कुल 2139 आंगनवाड़ी केंद्रों

का अनुमोदन किया गया है। अब तक महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को क्रमशः 17.16 करोड़ और 6.48 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान (डीएजेजीयूए) शुरू किया है जिसका उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी ब्लॉक एसटी गांवों में जनजातीय परिवारों की अधिकतम लाभार्थी कवरेज के माध्यम से जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल में वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक 2000 नए सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना और 6000 मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करना शामिल है।

वर्ष 2021 में, विश्व बैंक ने एनीमिया और ठिगनेपन की उच्च दर वाले 11 अग्रणी राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश) में एक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य इस कार्यक्रम के तहत पोषण सेवाएं प्रदान किए जाने का आकलन करना था कि क्या लाभार्थियों की पोषण संबंधी जानकारी में सुधार हुआ है तथा क्या उन्होंने पोषण और भोजन की अधिक उपयुक्त पद्धतियों को अपनाया है।

इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला कि पोषण अभियान के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएं- प्रासंगिक संदेशों की प्राप्ति, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा घरों का दौरा करना और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों में उपस्थिति - बेहतर पोषण व्यवहार से जुड़ी थीं। इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि इस कार्यक्रम के पोषण संदेश 80% से अधिक महिलाओं तक पहुंचे और 81% महिलाओं ने पहले छह महीनों में केवल स्तनपान कराया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 से किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न दौर में भी भारत भर में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाया गया है। एनएफएचएस-1 से एनएफएचएस-5 तक बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण इस प्रकार है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	**ठिगनेपन का %**	**अल्प वजन का %**	**दुबलेपन का %**
एनएफएचएस-1 (1992-93)*	52	53.4	17.5
एनएफएचएस-2 (1998-99)**	45.5	47	15.5
एनएफएचएस-3 (2005-6)***	48.0	42.5	19.8
एनएफएचएस-4 (2015-16)***	38.4	35.8	21.0
एनएफएचएस-5 (2019-21)***	35.5	32.1	19.3

* 4 वर्ष से कम
** 3 वर्ष से कम
*** 5 वर्ष से कम

उपर्युक्त तालिका संगत समय के साथ 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों की तस्वीर प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2021 के लिए भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या लगभग 13.75 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)। तथापि, पोषण ट्रैकर के फरवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक के केवल 7.49 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ियों में नामांकित और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत थे। इनमें से 7.25 करोड़ बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि संबंधी मापदंडों पर माप की गई थी। इनमें से 39.09% बच्चे ठिगने, 16.60% बच्चे अल्प वजन के और 5.35% बच्चे दुबले पाए गए।

इसके अलावा, वर्ष 2021 हेतु भारत में 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या लगभग 16.1 करोड़ है। पोषण ट्रैकर के फरवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार, 8.80 करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) आंगनवाड़ियों में नामांकित थे जिनमें से 8.52 करोड़ बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि संबंधी मापदंडों पर माप की गई थी। इनमें से 37.75% बच्चे (0-6 वर्ष) ठिगने और 17.19% बच्चे (0-6 वर्ष) अल्प वजन के पाए गए।

एनएफएचएस के उपर्युक्त आंकड़ों और पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के विश्लेषण से संपूर्ण भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाई देता है।

*****